-::- नियमावली -::-

1. संस्था का नाम : सहजन योग सेवा समिति

2. संस्था का पता : ई.डब्लू.एस.–358, स्वर्ण जयन्ती विहार, पो0 किदवई नगर, कानपुर नगर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4. संस्था के उद्देश्य : स्मृतिपत्र के अनुसार होंगे।

5. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :**

कोई भी महिला/पुरुष जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो तथा इस संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हों वे इस संस्था के सदस्य अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बनाये जायेंगे।

(अ) आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था को 5000/– रुपये एक बार में एक मुश्त अदा करेंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति अदा करेंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे।

(ब) विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था के विकास हेतु कार्य करेंगे, समाजसेवी सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त होंगे वे इस संस्था के विशिष्ट सदस्य एक वर्ष के लिए मनोनीत किये जायेंगे मताधिकारी नहीं होंगे सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे।

(स) सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था को 500/– वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में अदा करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य बनाये जायेंगे।

6. सदस्यता की सामाप्ति : मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दीवालिया होने पर, किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर, संस्था का निर्धारित सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर, संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहने पर, अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर त्याग पत्र स्वीकृत होने पर, प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से निष्कासित करने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त जो जायेगी देय सदस्यता शुल्क वापस नहीं होगा और न ही सदस्यता का क्लेम कर सकेंगे।

7. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग हैं अ) साधारण सभा,
ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

8. साधारण सभा :

गठन :– संस्था के आजीवन, विशिष्ट, सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक होगी तथा विशेष बैठकों आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर सचिव द्वारा बुलाई जा सकती हैं।

सूचना अवधि :– सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व अति आवश्यक बैठकों की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति :– गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थिति सदस्यों का कोरम होगा, कोरम के अभाव में दो बैठकें स्थगित हो जाती हैं तो पुनः बुलाई गई बैठकों के लिए कोरम 1/2 सदस्यों की उपस्थिति का होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि :–

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्ध समिति तय करेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संस्था की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट को स्वीकृत करना।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन करना।
4. प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति

अ) गठन : साधारण सभा में से बहुमत या गुप्त मतदान या चुनाव प्रक्रिया या हाथ उठाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक–अध्यक्ष, एक–उपाध्यक्ष, एक–सचिव, एक–कोषाध्यक्ष तथा शेष 03 सदस्य होंगे। प्रबन्धकारिणी समिति की संख्या 07 है जो 15 तक बढ़ायी घटायी जा सकती है।

ब) बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो होगी तथा विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर सचिव द्वारा बुलाई जायेगी।

स) सूचना अवधि : सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

द) गणपूर्ति : गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थिति सदस्यो का कोरम होगा कोरम के अभाव में दो बैठकें स्थगित हो जाती हैं तो पुनः बुलाई गई बैठकों के लिए कोरम 1/2 सदस्यों की उपस्थिति का होगा।

य) रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्र्तगत कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा की बैठकों में शेष कार्यकाल के लिए बहुमत से कर ली जायेगी।

र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना।
2. संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था के विवादों को सुलझाना।
4. संस्था के संचालन हेतु नियम उपनियम बनाना उपसमितियाँ मनोनीत करना कृषि शिक्षण प्रशिक्षण सेवा केन्द्रों को खोलना एवं उनका संचालन करना।
5. संस्था के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना प्राप्त करना।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, नागरिकों वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय अन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान चन्दा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी सदस्यों से शुल्क लेगी।

ल) कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष :

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना।
2. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना बैठकों को बुलाना तथा स्थगित करना।
3. किसी विषय पर समान मत आने पर अपना एक निर्णायक मत देना।
4. बैठकों में शान्ति बनाये रखना प्रस्ताव रखने की अनुमति देना। समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना।
5. संस्था के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण सेवा केन्द्रों में प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या, अध्यापक/अध्यापिकाओं, कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, कारीगरों, लिपिक, चपरासी, आदि की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना।

A Kumar

सत्य-प्रतिलिपि

सुनीता सोनकर

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

नीलम सिंह

6. समस्त स्टाफ की चरित्र पंजिकायें रखना उनमें कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्ट करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना, पृथक या निलम्बित करना।
7. संस्था के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हस्तान्तरण किराये पट्टे पर लेने देने संबंधित प्रपत्रों पर दस्तावेजों, शर्तनामों बैनामों आदि पर हस्ताक्षर करना।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

सचिव :
1. आवश्यक पत्र व्यवहार करना।
2. संस्था की बैठकों की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करना सुनाना तथा कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
3. संस्था के अभिलेख तैयार करना।
4. संस्था की अदालती कार्यवाही करना।
5. संस्था के सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना अध्यक्ष के हस्ताक्षर युक्त रसीदें जारी करना।
6. संस्था की ओर से सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व करना। अन्य धनराशियां प्राप्त करना।
7. बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले प्रपत्रों, बन्धक विलेखों पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना, ऋण प्राप्त करना व व्यय की व्यवस्था करना।
8. अध्यक्ष के सहयोग से कृषि शिक्षण प्रशिक्षण, योग एवं सेवा केन्द्रों के संचालन की सम्पूर्ण व्यवस्था देखना व प्रबन्ध संचालन करना।

कोषाध्यक्ष :
1. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था के कोष सम्बन्धी अभिलेख तैयार करना।
3. संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिल बाउचरों का भुगतान करना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से सोसायटीज रजि0 अधिनियम की धारा 12 के अनुसार साधारण सभा की बैठकों में किये जायेंगे।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

12. संस्था का कोष :-

संस्था का समस्त कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा खाते का संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

संस्था उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करेगी, ऋण के पक्ष में संस्था अपनी अथवा अपने सदस्यों की चल अचल सम्पत्ति का बन्धक कर सकेगी।

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य व्यक्ति आडीटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा की जायेगी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख :-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. लेजर कैशबुक
4. एजेण्डा रजिस्टर
5. अन्य अभिलेख जिनकी आवश्यकता होगी रखे जायेंगे।

16. विघटन :-

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजि0 अधिनियम की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

दिनांक : 05.12.2017

सत्य-प्रतिलिपि

15. व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा केन्द्र खोलना व संचालन करना।
16. कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, डाटाफिलिंग, कम्प्यूटर इण्टरनेट के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
17. संस्था के कार्यक्षेत्र में अनाथ आश्रमों, वृद्ध आश्रमों, विधवा पुनर्वास केन्द्रों आदि की स्थापना, संचालन करना।
18. कार्यक्षेत्र में स्वस्थ्य पेयजल उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय बागवानी एवं उद्यान विभाग की योजनाओं कार्यक्रमों का संचालन करना तथा पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स नियंत्रण, क्षय रोग नियंत्रण एवं जागरुकता कार्यक्रम, नशामुक्ति कार्यक्रम, नेत्र शिविरों, के प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों को प्राप्त कर संचालन करना।
19. आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना। जल संरक्षण, जल संचयन हेतु जागरुकता कार्यक्रमों को चलाना।
20. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, जागरुकता कार्यक्रम के आयोजनों द्वारा बेटियों के विकास हेतु प्रयास करना।
21. आई0टी0आई0, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व उनका संचालन करना।
22. संस्था के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में चल चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना। तकनीकी रोजगारपरक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।
23. संस्था के कार्यक्षेत्र में योग केन्द्र, आध्यात्मिक केन्द्रों आदि की व्यवस्था करना एवं उनका संचालन करना।
24. कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाना तथा जन सेवा प्रदाता के रूप में कार्यक्रमों को प्राप्त कर जन कल्याण हेतु चलाना।
25. संस्था के कार्यक्षेत्र में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी माण्टेसरी स्तर से लेकर प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के स्कूल/कालेज विविध नामों से खोलना एवं उनका संचालन करना। यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 पैटर्न के स्कूल कालेज खोलना व उनका संचालन करना।
26. संस्था के कार्यक्षेत्र में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि केन्द्रों, कालीन बुनाई, रेडियो, घड़ी, टी0वी0 ट्रेनिंग सेण्टरों अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना करना, उनका संचालन करना।
27. लोक संगीत, गायन, वादन का प्रचार प्रसार एवं कथा भागवत्, मंचन, नाट्य मंचन, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रसार करना।
28. उच्चकोटि के मसालों का प्रचार प्रसार एवं उपलब्धता के साथ लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्यागों को बढ़ावा देना एवं व्यवसाय के लिए प्रेरित करना।

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता व पद व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	डा० श्रीकान्त वर्मा	श्री शिवमतन	बिन्दकी ललौली रोड, बिन्दकी, फतेहपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री रवि त्रिपाठी	श्री सन्तोष त्रिपाठी	ई.डब्लू.एस.–220, स्वर्ण जयन्ती विहार, सेक्टर–7, पो0 किदवई नगर, कानपुर	उपाध्यक्ष	
3.	श्री अनुरंजन कुमार शुक्ला	श्री हरीशंकर शुक्ला	ई.डब्लू.एस.–358, स्वर्ण जयन्ती विहार, सेक्टर–7, पो0 किदवई नगर, कानपुर	सचिव	प्रा0नौकरी
4.	श्री राजमोहन सिंह	श्री बली सिंह	म0नं0 113, मडरांव, बिन्दकी, फतेहपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्रीमती नीलम सिंह	श्री राजमोहन सिंह	म0नं0 113, मडरांव, बिन्दकी, फतेहपुर	सदस्य	गृहणी
6.	श्रीमती सुनीता सोनकर	श्री ओम प्रकाश सोनकर	बराती नगर, बिन्दकी, फतेहपुर	सदस्य	गृहणी
7.	श्री प्रकाश नारायण	श्री बद्री प्रसाद	गगौली बादशाही, खजुहा, फतेहपुर	सदस्य	समाजसेवा

कार्यालय उप निबन्धक ... सत्यमेव जयते ... कानपुर

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि इस स्मृतिपत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि0 अधि0 सं0 21 सन् 1860 अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	डा० श्रीकान्त वर्मा	बिन्दकी ललौली रोड, बिन्दकी, फतेहपुर	(हस्ताक्षर)
2.	श्री रवि त्रिपाठी	ई.डब्लू.एस.–220, स्वर्ण जयन्ती विहार, सेक्टर–7, पो0 किदवई नगर, कानपुर	Ravi Tripathi
3.	श्री अनुरंजन कुमार शुक्ला	ई.डब्लू.एस.–358, स्वर्ण जयन्ती विहार, सेक्टर–7, पो0 किदवई नगर, कानपुर	Akumar
4.	श्री राजमोहन सिंह	म0नं0 113, मडरांव, बिन्दकी, फतेहपुर	(हस्ताक्षर)
5.	श्रीमती नीलम सिंह	म0नं0 113, मडरांव, बिन्दकी, फतेहपुर	नीलम सिंह
6.	श्रीमती सुनीता सोनकर	बराती नगर, बिन्दकी, फतेहपुर	सुनीता सोनकर
7.	श्री प्रकाश नारायण	गगौली बादशाही, खजुहा, फतेहपुर	P.Narayan

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांक : 05.12.2017

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

-::- स्मृति पत्र -::-

1. संस्था का नाम : सहजन योग सेवा समिति
2. संस्था का पता : ई.डब्लू.एस.–358, स्वर्ण जयन्ती विहार, पो0 किदवई नगर, कानपुर नगर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :
   1. संस्था का उद्देश्य जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, उन्नति का समुचित प्रयास करना।
   2. जन साधारण को स्वस्थ्य रखने हेतु योग केन्द्रों की स्थापना करना, योग प्रशिक्षण एवं योग शिविरों द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ कराना तथा प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी देना।
   3. कृषकों के विकास हेतु कृषि आधारित ग्रामोद्योगों का प्रचार प्रसार करना तथा उन्हें लगाने व चलाने का प्रशिक्षण देना।
   4. कृषकों को समूहों के माध्यम से कृषि से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी देना, कृषि विविधीकरण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना, किसानों को उन्नतिशील बीजों, जैविक खादों के प्रयोग, कीटनाशकों आदि के सम्बन्ध में निःशुल्क जानकारी देना, प्रशिक्षण देना। हर्बल खादों एवं कीटनाशकों को उपलब्ध कराना।
   5. फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु किसानों को कृषि से सम्बन्धित कार्यों में सहयोग एवं मार्गदर्शन करना। कृषकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास करना।
   6. समय–समय पर कृषि वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों द्वारा मृदा परीक्षण एवं फसलों में कीटों का परीक्षण कर उपचार आदि की व्यवस्था करना।
   7. किसानों को उन्नत एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित कृषि करने की जानकारी देना।
   8. किसानों की विचार गोष्ठियों, सेमनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना।
   9. किसानों को दलहनी, तिलहनी, जड़ी बूटी, सुगन्धित कृषि करने हेतु जागरूकता पैदा करना व सहयोग करना साथ ही व्यवसायिक कृषि के लिए प्रोत्साहित करना।
   10. प्रधानमंत्री योजना के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, संस्था के माध्यम से क्रियान्वित कराना, जनता को लाभान्वित कराना।
   11. कृषि आधारित पत्र, पत्रिकायें आदि उपलब्ध कराना, सिंचाई के साधनों की जानकारी देना। कृषि औषधियों की जानकारी देना।
   12. उन्नतशील बीजों की प्रजातियों एवं आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देना।
   13. कृषकों को फसल बीमा योजना की जानकारी देना, लाभान्वित कराना।
   14. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी देना व उनके प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AD 926482

यह जनरल स्टाम्प पेपर सहजन योग सेवा समिति

जिला कानपुर फाइल सं० K.S.4672

नियमावली के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्यमेव जयते

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल कानपुर

क्र० २९१५९

स्टाम्प विक्रय की तिथि ०८/०१/०४

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम सहायक योग सेवा समिति

व पता

स्टाम्प की धनराशि

करुणेन्द्र सचान (स्टाम्प विक्रेता)
ला०नं० 201/13-14 लाइसेंस की अवधि 31-3-
[illegible] तिर्वा [illegible]

द्वितीय कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश कानपुर

पत्रावली संख्या K-54672
आलेख्य का नाम 1
~~स्मृति पत्र~~
नियमावली
आज दिनांक 30.12.2017
को सन [illegible]
अन्तर्गत निबन्धित [illegible]

उप निबन्धक सोसाइटीज
उत्तर प्रदेश, कानपुर